प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अनुभाग देहरादून, दिनांक 22 फरवरी, 2024

विषयः मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1181/2021, "ग्राम कुन्जा बहादरपुर में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले राजा विजय सिंह स्मारक का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा" के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या–2731/सं0नि0उ0/दो–3 (मा0मु0घो0–346)/2023 – 24, दिनांक 11.11.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में विषयगत घोषणा के क्रियान्वयन/पूर्ति हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा गठित आगणन की टी0ए0सी0 परीक्षणोपरान्त औचित्यूर्ण **धनराशि रू0 232.54 लाख (रू0 दो करोड़ बत्तीस लाख चौव्वन हजार मात्र)** की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में **धनराशि रू0 14.30 लाख (चौदह लाख तीस हजार मात्र)** आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।
ii. प्रश्नगत कार्यों हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि का समायोजन करते हुए तदोपरान्त अग्रेत्तर धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।
iii. उक्त की जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से की जाए।
iv. अग्रेत्तर धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रस्तुत योजनाओं का औचत्य व आंगणन की लागत की उपयुक्तता इत्यादि को सुनिश्चित करने का दायित्व प्र0वि0 का होगा।
v. धनराशि व्यय करने से पूर्व कडाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना से धनावंटन नहीं किया गया है। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही सम्पन्न करते हुए शासन को अवगत कराया जाएगा।
vi. वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जायेगा तथा उक्तानुसार निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्य पूर्ण कराते हुए शत–प्रतिशत भौतिक प्रगति आख्या शासन को समयबद्व ढंग से अवश्य प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
vii. कार्य के आंगणन में सम्मिलित की जा रही GST देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से जिम्मेदार रहेगें।

viii. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं समस्त संगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है तथा धनराशि को पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते/बचत खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

ix. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

x. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

xi. प्रश्नगत धनराशि का आहरण एवं व्यय नियमानुसार मितव्ययता को ध्यान में रखकर आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।

xii. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xiii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित् किया जाए।

xiv. कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाये। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकोष में जमा कर दिया जाये।

xv. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप ही सामग्री प्रयोग में लायी जाये। विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।

xvi. विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाईन एवं विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेंगे, ताकि भविष्य में प्लान, डिजाइन या विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या Contractor के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

xvii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर विभागाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार, वित्त विभाग, एवं शासन को ससमय उपलब्ध करायी जाए।

xviii. आगणन में जिन मदों की दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं है, उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त कर, दर विश्लेषित करते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही उन मदों का नियमानुसार कार्य कराया जाए।

xix. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

xx. स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/वितरण मासिक व्यय यथावश्यकता सारणी बनाकर किया जाये।

xxi. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में

परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाये।

xxii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए।

xxiii. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)/2019 XXVII(1)/ 2023 दिनांक 31.03.2023, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं I/73324/2022 दिनांक 3 नवम्बर 2022 तथा समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त सम्बन्धित शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

xxiv. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और तथा चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोडी जाये।

xxv. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग–7 (वे0आ0–सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य सम्पादित किया जाय।

xxvi. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ब्याज के सम्बन्ध में वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या– I/161831/2023 दिनांक 16 अक्टूबर 2023 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

xxvii. परिसर में अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जाय। समस्त विद्युत उपकरणों हेतु आई0ई0सी0–62561–7 के मानकों के अनुसार Earthing का कार्य तथा आकाशीय विद्युत से बचाव हेतु Lightning protection system IEC62305 मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाय। कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रावधानों को सम्बन्धित विभाग से Vett करा लिया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के कार्यों को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण–पत्र अवश्य प्राप्त किया जाए।

xxviii. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2024 तक शासन को समर्पित कर दिया जाये।

xxix. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04–कला और संस्कृति–106–संग्रहालय–04 महान विभूतियों/शहीद स्मारक का निर्माण–53–वृहद निर्माण मानक मद के पूंजीगत पक्ष नामें डाला जायेगा। अग्रिम

3. उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे है।

4. यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक–I/189998/2024, दिनांक 13.02.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोक्त।

/192492/2024

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 21-02-2024 20:14:45

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. - महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड़, देहरादून।
2. - महालेखाकार (ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. - निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. - अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार।
5. - बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
6. - वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
7. - निदेशक, एन0आई0सी, सचिवालय परिसर देहरादून।
8. - गार्ड फाइल।
9.

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।